3/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत मुरतीपुरा के पेश है। एवीड पदाधारी उपा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी श्रीधर पुत्र चोथमल सलवुत श्रीमाल जाती ब्राह्मण ने ठाकुर श्रीमाल द्वारा प्रस्तुत प्रा पत्र। नि 10 का अवलोकन किया गया। एवीड अपीलार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा पत्र। नि 10 स्वीकार किया जाता है। दावा निर्णीत किया जाने तक उपखण्ड का पालन किया जाता है। कि न्यायालय के आदेश दिनांक 29/10/14 द्वारा जारी आदेश दिनांक 27/1/15 पर उपखण्ड अधिकारी नहीं कर तब कोई निर्णय इत्यादि नहीं कर रद्द कार्यवाही किया जाता है। पत्रावली फोल्ड सुमार होकर नस्ती कि जाय है।

NAD 2018 Cobw. B. मुरतीपुरा

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner